



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 29.07.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ ऑपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप अलग-अलग 06 मामलों में कुल 06 अभियुक्तों को 13 हजार 200 रुपए के जुर्माने व कारावास से कराया गया दण्डित ।

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में अलग-अलग 06 मामलों में कुल 06 अभियुक्तों को कुल 13 हजार 200 रुपए के जुर्माने व कारावास से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना गिरवां पर पंजीकृत मु0अ0सं0-218/19 धारा 278/39 भादावि के अभियुक्त आनन्द कुमार पुत्र कौशल किशोर निवासी मसुरी थाना गिरवां जनपद बांदा को 2200 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
2. थाना गिरवां पर पंजीकृत मु0अ0सं0-75/18 धारा 279/337/338 भादावि के अभियुक्त मुनीम पुत्र नन्हेलाल निवासी ठाकुर पुरवा थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी को 2500 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
3. थाना गिरवां पर पंजीकृत मु0अ0सं0-232/20 धारा 294 भादावि के अभियुक्त मुख्तार पुत्र अब्दुल बहीद निवासी बरईमानपुर थाना गिरवां जनपद बांदा को 1000 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
4. थाना नरैनी पर पंजीकृत मु0अ0सं0/एनसीआर नं0 -50/12 धारा 323/504 भादावि के अभियुक्त गोदुर पुत्र बुचुवा निवासी गंगा पुरवा थाना नरैनी जनपद बांदा को 1000 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
5. थाना नरैनी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-92/23 धारा 279/337/338 भादावि के अभियुक्त ध्रुव पुत्र गलऊ निवासी मलगांव थाना कोलगवां जनपद सतना (म0प्र0) को 2500 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
6. थाना बिसण्डा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-101/08 धारा 392 भादावि के अभियुक्त लोखू उर्फ धरमवीर पुत्र हजारी निवासी बिलगांव थाना बिसण्डा जनपद बांदा को 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 4000 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।